(42)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 2813–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–6–2014 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 61/अपील/स्टाम्प/2013–14.

.....

1–श्री गुलाबचन्द पिता स्व0 श्री ओंकारलालजी चौरडिया
2–श्रीमती रतनबाई पति गुलाबचन्दजी चौरडिया
3–राजेश पिता श्री गुलाबचन्दजी चौरडिया
4–अजय पिता श्री गुलाबचन्दजी चौरडिया
निवासी 6/7, वाय एन रोड इंदौर
5–मदनसिंह पिता श्री कालूसिंह
निवासी 22/2 बी0के0सिन्धी कॉलोनी इंदौर

..... अपीलार्थीगण

विरूद्ध

म0प्र0राज्य शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प
पंजीयक कार्यालय मोती तबेला इंदौर

..... प्रत्यर्थी

.....

श्री हरीश सोंलकी, अधिवक्ता–अपीलार्थीगण
श्री हेमन्त मूँगी, अभिभाषक,–प्रत्यर्थी

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/1/18 को पारित)

यह अपील, अपीलार्थीगण द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 47–(क)(5) के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश 20–7–2005 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 28–4–2014 को लगभग 9 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 10–6–2014 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आदेश की सूचना अपीलार्थीगण को नहीं दी गई और उन्हें जैसे ही आदेश की सूचना प्राप्त हुई उनके द्वारा तत्काल अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । इस आधार पर कहा गया कि जानकारी के दिनांक से आयुक्त के समक्ष प्रथम अपील समय सीमा में प्रस्तुत की गई थी परन्तु उनके द्वारा अपील निरस्त करने में त्रुटि पूर्ण कार्यवाही की गई है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश है और ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिये समय सीमा का बन्धन नहीं है ।

4/ प्रत्यर्थी शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर न्यायालय में अपीलार्थी को नोटिस तामील था, परन्तु वह कलेक्टर न्यायालय में अनुपस्थित रहा है, इसलिये कलेक्टर ने अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । यदि अपीलार्थी कलेक्टर के समक्ष उपस्थित रहता तो उसे आदेश की जानकारी रहती । अतः

आयुक्त द्वारा विलम्ब क्षमा नहीं कर अपील अवधि बाह्य मानकर अमान्य करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–6–2014 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर